FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0025 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/01/2026 20:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 28/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/01/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/01/2026 20:39:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY ADHIKSHAN ABHIYANTA P.V.S., JAIPUR DISCOM DHOLPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AFAROZ KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAET. CUNNA KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PURANI SARAI, PURANA SAHAR, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PURANI SARAI, PURANA SAHAR, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR VERMA		पिता:BHANWAR LAL VERMA	1. THE ANTALIYA 106 1st FLOR KIRTI SAGAR,BHARAT MATA CIRCLE KE PASS,MANGYAWAS,JAIPUR CITY
2	NARENDRA SINGH		पिता:KARAN SINGH BAGHELA	1. GRANDIL MOHALLA,DHOLPUR,NIHALGANJ,DHOLPUR,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,75,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,75,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर विषय भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत् महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै अफरोज खान पुत्र स्व0 श्री चुन्ना खान निवासी पुरानी सराय, पुराना शहर धौलपुर का रहने वाला हूं एवं विधुत विभाग एक्सईएन ओएण्डएम जेवीवीएनएल धौलपुर में लाईनमैन द्वितीय के पद पर कार्यरत हूं मुझे दिनांक 16.01.2026 को एसई (ओएण्डएम) जेवीवीएनएल धौलपुर द्वारा निलम्बित कर दिया गया है, जिसकी मेरे द्वारा जानकारी चाही जाने पर एसई साहब श्री राजेश कुमार वर्मा द्वारा मेरे उपर नये विधुत कनैक्शन जारी करने, विधुत लाईनों के स्थानान्तरण आदि संबंधित फाईलो के निस्तारण में भ्रष्टाचार करने का आरोप होना बताया और कहा कि मैने इसकी जांच हेतु जांच कमैटी बना दी गई है, मैने साहब को बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी उन्होने मेरी कोई बात नहीं सुनी तथा आज दिनांक 26.01.2026 को एसई साहब श्री राजेश कुमार वर्मा जी द्वारा अपने कार्यालय के बाबू श्री नरेन्द्र कुमार के मार्फत मुझे निलम्बन से बहाल करने के लिये मुझसे 02 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है, मै इनको 02 लाख रूपये रिश्वत में नहीं देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नही है और ना ही रुपये पैसे का कोई लेन देन बकाया है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी-अफरोज खान 26.01.26 अफरोज पुत्र स्व0 श्री चुन्ना खान जाति मुसलमान उम्र 37 वर्ष निवासी पुरानी सराय, पुराना शहर धौलपुर हाल निलम्बित मुख्यालय कार्यालय एईएन (ओएण्डएम) सरमथुरा, धौलपुर मो. नं.

हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी धौलपुर 27.01.2026 हस्ता. स्वतंत्र गवाह-शंकरलाल माली क.स. 27.01.2026 व सोनू सैनी क.स. 27.01.2026-कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर षिकायतकर्ता अफरोज खान पुत्र स्व0 श्री चुन्ना खान जाति मुसलमान उम्र 37 साल निवासी पुरानी सराय, पुराना शहर धौलपुर तत्कालीन लाईनमैन व्दितीय कार्यालय एक्सईएन (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कांम धौलपुर हाल निलम्बित मुख्यालय कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कांम सरमथुरा जिला धौलपुर ने सम्पर्क उपरान्त दिनांक 26.01.2026 को समय 11.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय धौलपुर में उपस्थित होकर श्रीकान्त मुख्य आरक्षक को विधुत विभाग धौलपुर के एसई श्री राजेश कुमार वर्मा व बाबू श्री नरेन्द्र कुमार को रिश्वत मांगने पर उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई पेष की चॅूकि चौकी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पास होने से मुख्य आरक्षक द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को लिखित रिपोर्ट व उसमें अंकित तथ्यों के बारे में जरिये दूरभाष अवगत कराया एवं परिवादी से वार्ता कराई तथा मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर मुख्य आरक्षक द्वारा परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना व अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि-श्री राजेश कुमार वर्मा एसई ओएण्डएम जयपुर डिस्कांम धौलपुर अपने कार्यालय के बाबू नरेन्द्र कुमार के मार्फत मुझको निलम्बन से बहाल करने के लिये मुझसे दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है वह इनको रिश्वत में उक्त राशि नहीं देकर रिश्वत लेने के जुर्म में पकडवाना चाहता है। उसकी एसई श्री राजेश कुमार वर्मा व बाबू नरेन्द्र कुमार से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है और न ही कोई किसी प्रकार के पैसे का लेन-देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी के कहने आदि पर नहीं बल्कि स्वयं की स्वेच्छा से आरोपीगणों द्वारा उसके वैद्य कार्य को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा है। परिवादी ने मांगने पर अपने पास से एसई आर.के. वर्मा द्वारा जांच हेतु गठित जांच कमेटी आदेश क्रमांक 5416 दिनांक 15.01.2026 व निलम्बन आदेश क्रमांक 2321 दिनांक 16.01.2026 एवं अपने एड्रेस प्रूफ संबंधी आधार कार्ड की स्वप्रमाणित पेश की जिन्हे शामिल रनिंग

नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं पेश कागजात एवं की गई पूछताछ आदि से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत भ्र. नि.ब्यूरो धौलपुर मांग का गोपनीय सत्यापन कराने हेतु कहा गया तो परिवादी ने हैड कानि. को बताया कि उसको जानकारी प्राप्त हुई है कि आज एसई साहब श्री राजेश कुमार वर्मा भरतपुर गये हुये है एवं बाबू श्री नरेन्द्र कुमार आज 26 जनवरी होने के कारण कार्यालय में उपस्थित नही मिलेगा कल दिनांक 27.01.2026 को एसई साहब एवं बाबू नरेन्द्र कुमार दोनो ही उपस्थित मिल जायेगे जिनसे रिश्वत मांग संबंधी आमने सामने स्पष्ट वार्ता हो जायेंगी। जिसके संबंध में मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया जाकर मेरे निर्देशानुसार परिवादी को दिनांक 27.01.2026 को समय 09.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर कार्यालय से गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। इसके बाद दिनांक 27.01.2026 को समय 09.15 ए.एम. पर परिवादी श्री अफरोज खान कार्यालय में उपस्थित आया और श्रीकान्त हैड कानि. को बताया कि नरेन्द्र कुमार बाबू ने फोन कर मुझे 10 बजे तक घंटाघर रोड धौलपुर में वीडी जिन्दल डाक्टर वाली गली स्थित एसई साहब श्री राजेश कुमार वर्मा जी के किराये के आवास पर बुलाया है वहीं पर नरेन्द्र कुमार व एसई साहब से उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के संबंध में खुली बात हो जायेंगी। जिसके बारे में मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया जाकर मेरे निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजीटल वाईस रिकांर्डर में नया सैल व नया मेमौरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी डालकर एवं खाली होना सुनिष्चित कर परिवादी को वांईस रिकांर्डर चालू एवं बन्द करना बताकर श्री योगेश सिह कानि. 88 को समय करीब 09.30 एएम पर जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गई कि वह परिवादी के हमराह गन्तव्य स्थान पर पहुंचकर आरोपीगण से परिवादी की वार्ता हेतु वाईस रिकार्डर को चालू करके स्वयं की आवाज से टैस्टिंग कर चालू हालत में परिवादी को सुपुर्द करे, तथा आरोपीगण से परिवादी की वार्ता उपरान्त परिवादी से वापस लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखे छेड-छाड नहीं करें तथा वापस कार्यालय में हमराह परिवादी के आकर मांगने पर उसी हालत में पेश करे। तत्पश्चात परिवादी को श्री योगेश कुमार कानि0 के हमराह रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु मय वाईस रिकार्डर के कार्यालय से अलग अलग मोटरसाईकिलो से आरोपीगणों के पास एसई के घंटाघर रोड धौलपुर में वीडी जिन्दल डांक्टर वाली गली स्थित किराये के आवास के लिये समय करीब 09.50 एएम पर रवाना किया गया, जो उसी रोज समय 12.15 पीएम पर वापस कार्यालय आये तथा परिवादी ने श्रीकान्त हैड कानि0 को बताया कि हम दोनो यहां से रवाना होकर घंटाघर रोड धौलपुर स्थित बीना गोयल अस्पताल के पास पहुंचे जहां पर योगेश जी ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपनी आवाज भरकर एवं मेरा नाम बुलाकर चालू हालत में मुझे दे दिया जिसको मै अपने पास रख मोटर साईकिल से रवाना होकर घटाघर रोड पर डाक्टर वीडी जिन्दल वाली गली के अन्दर स्थित एसई साहब के किराये के मकान पर पहुंचा जहां पर बाबू नरेन्द्र कुमार मौजूद मिला जिसने मुझे एसई साहब श्री राजेश कुमार वर्मा जी से मिलाया तो एसई साहब ने नरेन्द्र कुमार बाबू को मेरे लिये कहा कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी इसको लाने की मिल तो लिया था फिर मैने साहब को माफ कर दो गलती हो गई कहते हुये बातचीत की तो उन्होने कहा कि इनक्वारी होगी फिर देखेगें तथा कहा कि इसको मिलके बता दिया मैने जांच करके देखते है उसके बाद नरेन्द्र बाबू ने एसई साहब को कहा कि ये एक की कह रहा था सर तो एसई साहब ने हां कहते हुये कहा कि मै तो तैयार था, फिर मैने साहब को कहा कि साहब मै गरीब आदमी हूं मेरी दो बेटिया है तो एसई साहब ने कहा कि मुझे समझाने की कोशिश मत कर उसके बाद मेरे द्वारा साहब को कहा कि ज्यादा हो जायेंगे पैसे तो एसई साहब ने कहा कि देख पैसे वैसे की कोई वो नहीं है आप जांच में जो होगा वो देखेंगे, उसके बाद एसई साहब ने मुझे अपने कमरे से बाहर भेज दिया और वह एवं नरेन्द्र सिंह आपस में बाते करने लगे कुछ देर के बाद नरेन्द्र सिंह ने एसई साहब के पास से बाहर आकर मुझसे मुझे निलम्बन से बहाल करने के बदले में एसई साहब व स्वयं के लिये 1 लाख 75 हजार रूपये मांगे तो मैने मना किया कि साहब मेरे पास इतने पैसो का इन्तजाम नहीं है तो वे मुझे अपने साथ वाटरवक्स चौराहा स्थित विद्युत विभाग कार्यालय लेकर आये और वहां पर नरेन्द्र सिह ने विधुत कर्मचारी नीलम यादव का एसबीआई धौलपुर खाता सं. का हस्ताक्षर शुदा मुझ अफरोज खान नाम से सैल्फ चैक संख्या 019050 दिनांक 27.01.2026 राशि 01 लाख रूपये का लाकर देकर कहा कि ये रूपये उधार दिला रहा हूं तू इस चैक से एक लाख रूपये बैंक से निकालकर पूरी राशि 1 लाख 75 हजार रूपये लेकर कल दिनांक 28.01.2026 को मुझे दे देना तेरा काम हो जायेगा और यह भी कहा कि ये एक लाख रूपये उधारी के तू नीलम यादव को बाद में दे देना जिस पर मै मूल चैक को साथ लेकर वापस आया और वाटरवक्स चैराहे से कुछ दूरी पर खडे मिले योगेश जी को टेप रिकार्डर चालू हालत में दे दिया जो इन्होने बन्द कर रख लिया उसके बाद मैने योगेश जी को सारी बातें बतादी उसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर वापस आये है। इस पर योगेश सिंह कानि0 ने पूछने पर परिवादी के कथनों की ताईद की उसके बाद कानि0 योगेश सिंह से सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर जरिये फर्द वापस प्राप्त कर बिना छेड-छाड के सुरक्षित रखा जाकर रिश्वत मांग सत्यापन बाबत मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत कराया एवं परिवादी से वार्ता कराई जिस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीयता के मध्यनजर श्रीकान्त हैड कानि0 को मय परिवादी एवं जाप्ता के व मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता डीवीआर मैमोरी कार्ड सहित मय आवश्यक साजो सामान के जरिये सरकारी वाहन ब्यूरो चैकी करौली पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाने पर श्रीमती सुमन ठाकुर महिला कानि0 को कार्यालय में छोडकर श्रीकान्त हैड कानि0 नं. 72 मय

परिवादी अफरोज खान मय रिकार्ड वार्ता डीवीआर एवं स्टाफ के श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि0 नं. 71 श्री योगेश सिंह कानि0 नं. 88 ब्रहम्देव कानि0 नम्बर 449 व राजकुमार कनिष्ठ सहायक को ट्रेप बौक्स, लेपटोप, प्रिन्टर विडीयो कैमरा आदि सामग्री सहित जरिये सरकारी वाहन ब्यूरो कार्यालय धौलपुर से समय 02.00 पीएम पर रवाना होकर समय 04.50 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय करौली पर मन पुलिस निरीक्षक के के समक्ष उपस्थित आया जहां पर श्रीकान्त हैड कानि0 नम्बर 72 द्वारा परिवादी श्री अफरोज खान की लिखित रिपोर्ट दिनांक 26.01.2026 तथा उसके साथ पेश कागजात यथा-अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्क्रॉम धौलपुर द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनक 16.01.2026, एवं जांच कमैटी आदेश दिनांक 15.01.2026 व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मय कार्यवाही पुलिस, रनिंग नोट, फर्दात तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जी डले सहित जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, मय परिवादी श्री अफरोज खान के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अफरोज खान की लिखित रिपोर्ट दिनांक 26.01.2026 एवं अन्य कागजात, रनिंग नोट, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री अफरोज खान से उस द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं लिखी हुई सभी बातें सही होना बताते हुये बताया कि-श्री राजेश कुमार वर्मा एसई ओएण्डएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर अपने कार्यालय के नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन के मार्फत मुझको निलम्बन से बहाल करने के लिये मुझसे दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी जिसकी शिकायत ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर करने पर आपसे सम्पर्क उपरान्त दिनांक 26.01.2026 को उसके द्वारा ब्यूरो कार्यालय धौलपुर में लिखित शिकायत पेश की जाने पर आपके निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड साहब ने योगेश सिंह कानि0 को मेरे साथ टेप रिकार्डर सहित आज दिनांक 27.01.2026 को आरोपीगण श्री राजेश कुमार वर्मा एसई व नरेन्द्र सिंह के पास भेजकर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गयाहै, मेरी श्री राजेश कुमार वर्मा एसई व नरेन्द्र सिंह टैक्नीषियन से सर्वप्रथम एसई साहब के किराये के कमरे पर एवं उसके बाद विधुत विभाग धौलपुर परिसर में मेरे निलम्बन से बहाली के संबंध में वार्ता हो गई है। जिसमें श्री राजेश कुमार वर्मा एसई द्वारा नरेन्द्र सिंह के मार्फत मुझे निलम्बन से बहाल करने के लिये 1 लाख 75 हजार रूपये की मांग की है और मेरे पास इतनी अधिक राशि का इन्तजाम नहीं होने से नरेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय की सहकर्मी नीलम यादव से एक लाख रूपये उधार दिलाने बाबत मेरे नाम का सैल्फ चैक दिलाकर उक्त राशि बैंक से निकाल पूरी 1.75 लाख की राशि नगद आज ही लेकर आने हेतु कहा है, मूल चैक मेरे पास है, सारी वार्ताओ को मेरे द्वारा आपके विभागीय टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद वॉइस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित को परिवादी के सामने लैपटोप की मदद से चालू कर टेबल स्पीकरों के सहयोग से उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई, एवं रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, परिवादी के कथनों की उसके साथ गये कानि0 योगेश सिंह द्वारा पूछने पर ताईद की। रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी श्री राजेश कुमार वर्मा एसई द्वारा अपने कार्यालय के श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के मार्फत परिवादी से उसके निलम्बन से बहाली संबंधी कार्य के बदले में रिश्वत मांग किये जाने की पुष्टि होना पाया गया है, इसके बाद परिवादी से मूल चैक प्राप्त कर उसकी फोटो प्रति प्राप्त की जाकर मूल चैक परिवादी को बैंक से राशि निकालकर पूरी रिश्वत राशि का इन्तजाम कर लाने की हिदायत दी जाकर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया इसके बाद समय 05.00 पीएम पर पूर्व से अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0 विभाग खण्ड करौली को तहरीर प्रेषित कर पाबन्द कराये हुये गवाह श्री शंकर कनिष्ठ सहायक व श्री सोनू कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0 विभाग खण्ड करौली उपस्थित कार्यालय आये है जिनसे नाम पते पूछकर जाने उनसे ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री अफरोज खान से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा श्री राजेश कुमार वर्मा एसई व नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 26.01.2026 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ कर रिपोर्ट को सही मानते हुये उस पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये, दोनो गवाहों को वक्त सत्यापन बतौर उधारी राशि 1 लाख के परिवादी को दिलाये गये चैक के बारे में बताया जाकर चैक परिवादी से मूल ही एवं पत्रावली में से उसकी फोटो प्रति को दिखाया जाकर फोटो प्रति पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये तथा मूल चैक परिवादी के पास रहने दिया गया तत्पश्चात समय 06.30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुये मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डिंग डीवीआर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी अफरोज खान एवं संदिग्ध आरोपीगण श्री राजेश कुमार वर्मा एसई व नरेन्द्र सिंह के मध्य आज दिनॉक 27.01.2026 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को विभागीय लेपटोप की मदद से चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी मैमोरी कार्ड के फाईल फोल्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री योगेश सिंह कानि0 नम्बर-88 से रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से चार नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी में संग्रहित करवाई जाकर चारो पैनड्राईवों पर मार्क ए अंकित कर वॉईस रिकार्डर में

डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर मूल मैमोरी कार्ड की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिंट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कबरों में सुरक्षित रख कवर के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव एवं मुलजिम प्रति को शील्ड मोहर किया गया तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ता के मूल सेंडिस्क 32 जीबी मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको कवर में रखकर उसे सुरक्षित कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-एम अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया, तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों को जमा मालखाना हेतु एचएम श्रीकान्त को सुपुर्द किया गया तथा समय 11.55 पीएम पर मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी को बैंक से जरिये चैक राशि एक लाख रूपये निकालकर पूरी 1 लाख 75 हजार रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर दिनांक 28.01.2026 को लाने की कहा गया तो परिवादी ने बताया कि उस पर चैक की राशि सहित कुल 1 लाख 20 हजार का इन्तजाम है शेष राशि 55 हजार का इन्तजाम नहीं है जिस पर परिवादी को 1 लाख 20 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 55 हजार रूपये के डमी करेंसी नोट लेकर आने की सलाह दी गई तो उसके द्वारा दिनांक 28.01.2026 को प्रातः धौलपुर जाकर वहां एसबीआई बैक से चैक के जरिये 1 लाख रूपये निकालकर तथा घर से 20 हजार रूपये असली एवं 55 हजार के डमी नोट सहित कुल 1 लाख 75 हजार रूपये लेकर आने हेतु कहा तथा बताया कि राशि दिनांक 28.01.2026 को ही आरोपीगण को देनी है जिसमें धौलपुर जाने व राशि लेकर वापस आने फिर धौलपुर जाने आदि में काफी समय लग जायेगा, इस पर परिवादी के कथनों अनुसार समय अभाव के मध्यनजर दिनांक 28.01.2026 को धौलपुर पहुंचकर बाद रिश्वत राशि इन्तजाम अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर दोनो स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत दिनांक 28.01.2026 को प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय में आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया तथा परिवादी को रात्रि होने से कार्यालय में ठहराया गया। इसके बाद दिनांक 28.01.2026 को समय 08.00 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये उसके बाद समय 09.00 एएम पर श्रीकान्त मुख्य आरक्षक नम्बर 72 को मय परिवादी अफरोज खान एवं स्टाफ सदस्य श्री इन्द्रजीत सिंह मुख्य आरक्षक सं. 71, श्री योगेश सिंह कानि0 नं0 88, श्री ब्रहम्देव कानि0 नं0 449 व राजकुमार कनिष्ठ सहायक के मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप, प्रिंटर, सरकारी वीडियो कैमरा, व डीवीआर आदि सामग्री एवं पानी से भरे कैम्पर के जरिये सरकारी वाहन करौली से धौलपुर के लिये रवाना किया जाकर श्रीकान्त मुख्य आरक्षक को धौलपुर पहुंचकर परिवादी को बैक व उसके घर भेजकर रिश्वत राशि का इन्तजाम करवाकर मय स्टाफ व परिवादी सहित ओडेला रोड धौलपुर के पास मिलने की हिदायत दी गई इसके बाद समय 11.50 एएम पर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शंकरलाल माली व श्री सोनू सैनी कनिष्ठ सहायक व श्री अजय कुमार एएसआई, श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135, श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 के विभागीय लेपटोप, आदि सामग्री सहित जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक बृजेश कुमार के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से रवाना होकर समय 02.00 पीएम पर ओडेला रोड पर रीको ऐरिया पहुंचा जहां पर पूर्व से रवाना शुदा श्रीकान्त मुख्य आरक्षक मय स्टाफ सदस्यों के सरकारी वाहन सहित उपस्थित मिला जिसने बताया कि परिवादी अफरोज खान रिश्वत राशि का इन्तजाम कर लेकर आने हेतु बैक व अपने घर गया हुआ है जिसने शीघ्र ही राशि का इन्जताम कर लेकर आने हेतु कहा है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान, जाप्ता के रीको ऐरिया ओडेला रोड धौलपुर के पास ही निर्जन स्थान पर वाहनो सहित मुकीम हुआ, इसके बाद समय 02.15 पीएम पर परिवादी श्री अफरोज खान ओडेला रोड धौलपुर पर खडे मन पुलिस निरीक्षक के पास आया एवं बताया कि वह एक लाख 20 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 55 हजार रूपये के 500-500 रू. के डमी करेंसी नोट कुल राशि 1 लाख 75 हजार रूपये साथ लेकर आया है। इसके बाद समय 02.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी अफरोज खान को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 240 नोट कुल राशि 1,20,000/-रूपये व 500-500 रूपये जैसे दिखने वाले भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी करेंसी के 500-500 रू. के 110 नोट कुल 55,000 रूपये अपने पास से निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश किये। इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 1,75,000/-रूपये (1 लाख 20 हजार रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 55 हजार रूपये डमी करेंसी) पेश किये, परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 1,20,000/-रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) के नोटो का विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 500-500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के (जिनमें 500-500 रू. के 110 नोट) कुल राशि 55,000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है तथा 500 रूपये के सभी डमी नोटों पर DUK 616850 नम्बर अंकित है, उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध आरोपीगण को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 240 नोटों एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 110 नोटो पर पृथक पृथक फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री मनोज कुमार कानि. 179 मय फिनाफ्थलीन पाउडर का डिब्बा सहित ब्यूरो चैकी धौलपुर से तलबिदा से एक साफ अखवार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर

सभी नोटो पर भली-भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री अफरोज खान की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री सोनू सैनी से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई । इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 110 नोटो को भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 240 नोटों के बीच में रखी जाकर कुल राषि 1 लाख 75 हजार रूपयों को एक अखवार पेज में लिपटवाकर उक्त अखवार पेज पर भी फिनोफथलीन पाउडर लगवाकर परिवादी के बदन पर पहने हुये जैकिट की सामने की दाहिनी साईड की अन्दर वाली जेब के अन्दर रखवाकर सुपुर्द किये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही अखवार पेज सहित राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपीगण द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा राशि देने से पहले व बाद में आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे अगर अभिवादन की जरूरत पडे तो दूर से हाथ जोडकर करे तथा कोई बहाना बनाकर बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मोबाईल फोन से मिसकॉल अथवा मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्रीकान्त मु. आरक्षक से एक साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिसपोजल गिलास में गाडी में रखे पानी के कैम्पर मे से साफ पानी भरवाकर और श्रीकान्त मुख्य आरक्षक से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर गवाह श्री सोनू सैनी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त डिसपोजल गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में श्रीकान्त मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि. से उक्त गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार व डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया, इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, स्टील कटोरों, डिपोजल गिलासों, चम्मच आदि को मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस निरीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस निरीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड सेडिस्क 32 जीबी डालकर खाली होना सुनिश्चित कर चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी को बाद हिदायत सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत दी गई एवं श्री मनोज कुमार कानि. को मय फिनोफ्थलीन पाउडर डिब्बा सहित ब्यूरो चौकी धौलपुर के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय करीब 02.53 पीएम पर आरोपी नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम की जानकारी प्राप्त करने के लिये परिवादी अफरोज खांन से उसके मोबाईल नम्बर से नरेन्द्रसिंह से उसके मोबाईल नम्बर को मिलवाकर परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई तो नरेन्द्र सिंह ने परिवादी को एसई साहब के घंटाघर रोड धौलपुर डाक्टर वीडी जिन्दल वाली गली में स्थित किराये के कमरे पर आने हेतु कहा उक्त वार्ता को परिवादी के सुपुर्द वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया तत्पश्चात समय 03.05 पीएम पर कार्यालय स्टाफ के हाथों को अलग-अलग सैम्पू साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी अफरोज खांन को उसकी स्वयं की मोटरसाईकिल से तथा उसके पीछे पीछे श्री योगेश सिंह कानि0 नम्बर 88 व ब्रह्मदेव सिंह कानि0 449 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से घटाघर रोड धौलपुर स्थित एसई के किराये के कमरे के लिये रवाना किया जाकर उनके पीछे पीछे श्री विष्णु सिंह कानि0 135, को मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के जरिये सरकारी वाहन मय चालक बृजेश कुमार के एवं श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक को मय ट्रेप बौक्स, सरकारी लेपटोप, मय प्रिंटर, टेबिल स्पीकर वीडियो कैमरा आदि सामान सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक शंकर के आगे आगे रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज, मय अजय कुमार एएसआई, व श्रीकान्त हैड कानि0 व इन्द्रजीत सिंह हैड कानि0 व श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 के श्रीकान्त हैड कानि0 द्वारा लाये गये प्राईवेट वाहन कार से लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर समय 03.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के घटाघर रोड धौलपुर स्थित डाक्टर वीडी

जिन्दल वाली गली के सामने स्थित चैराहे पर पहुंचा जहां पर परिवादी अफरोज खांन मुझ पुलिस निरीक्षक व जाप्ता से सम्पर्क रखता हुआ स्वयं की मोटर साईकिल से डाक्टर वीडी जिन्दल के पास वाली गली के अन्दर स्थित एसई कि किराये के कमरे की तरफ चला गया और कुछ समय के बाद बिना ईशारा किये वापस आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को नरेन्द्र सिंह द्वारा एसई कार्यालय विधुत विभाग धौलपुर में ही बुला रहा है की कहकर विधुत विभाग धौलपुर की तरफ मोटरसाईकिल से चला गया जिसके पीछे पीछे श्री योगेश सिंह व ब्रह्मदेव सिंह कानि0 को जरिये मोटरसाईकिल रवाना किया इसी दौरान ही एसई राजस्थान सरकार लिखी गाडी में बैठकर अपने किराये के कमरे से विघुत विभाग कार्यालय धौलपुर की तरफ चला गया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता गवाहान के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहन से उक्त स्थान से एसई की कार के पीछे पीछे रवाना विधुत विभाग धौलपुर हुआ और उक्त कार का पीछा करते हुये कार्यालय एसई विधुत विभाग धौलपुर के पास मचकुण्ड रोड पर पहुंचा जहां पर एसई अपनी कार सहित अन्दर अपने कार्यालय की तरफ चला गया उसके कुछ देर बाद ही परिवादी अफरोज खान मोटरसाईकिल सहित एसई कार्यालय की तरफ चला गया उसके पीछे पीछे योगेश सिंह व ब्रह्मदेव सिंह कानि. भी निर्देशानुसार मोटरसाईकिल सहित अन्दर चले गये तथा उनके पीछे पीछे श्रीकान्त हैड कानि0 को रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान जाप्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहन सहित विधुत विभाग कार्यालय धौलपुर के बाहर ही मचकुण्ड रोड पर खडे होकर परिवादी के अग्रिम ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। इसके बाद समय 03.35 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री अफरोज खान ने कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्काॅम धौलपुर से बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यो को साथ लेकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम धौलपुर मुख्य गेट के बाहर मौजूद परिवादी के पास पहुंचा जहां पर उपस्थित परिवादी से सुपुर्द शुदा डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा तत्पश्चात् परिवादी ने पूछने पर मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के सामने के बताया कि श्री नरेन्द्र सिंह टेक्नीशियन-प्रथम ने कमरा नम्बर 12 के अन्दर मुझसे 1,75,000/-रूपये की रिश्वत राशि मांग कर स्वंय व अधीक्षण अभियन्ता के लिए लेकर अपने दाहिने हाथ से स्वंय के पिट्ठू बैंग की जेब के अन्दर रख दिये है वह कमरा नम्बर 12 के अन्दर बैठा हुआ है अधीक्षण अभियन्ता भी अभी-अभी अपने वाहन से कार्यालय में आकर अपने कक्ष में मौजूद है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी को हमराह परिवादी के मुख्य चैनल गेट से होकर अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के अन्दर कमरा नम्बर 12 के अन्दर समय 03.40 पीएम पर पहुंचा जहां पर खडे़ हुये एक व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही श्री नरेन्द्र सिंह टेक्नीशियन-प्रथम है जिन्होने मुझसे अभी-अभी मुझे निलम्बन से बहाल कराने की एवज में अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा व स्वंय के लिए 1,75,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त किये है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सामने वाले व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री करन सिह बघेला जाति बघेल उम्र 44 निवासी ग्रान्डील मौहल्ला धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल टेक्नीशियन-प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-द्वितिय धौलपुर हाल अटैचमेन्ट कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर होना बताया जिससे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अफरोज खान से उसको निलम्बन से बहाल करने की एवज में रिश्वत राशि 1,75,000/-रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैने इस अफरोज खान से इसको निलम्बन से बहाल करने के बदले में अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा जी के कहे एवं मांगे अनुसार मांग कर 1,75,000/-रूपये लिये है जो मेरे पिट्ठू बैंग की जेब के अन्दर अखबार में लिपटे रखे हुये है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा नरेन्द्र सिंह टेक्नीशियन-प्रथम को प्राप्त की गई रिश्वत राशि बाबत श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता से मोबाईल फोन पर वार्ता करने की कहा तो नरेन्द्र सिंह टेक्नीशियन-प्रथम ने अपने मोबाईल नम्बर से अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा, के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी श्री अफरोज खान से उसको निलम्बन से बहाल करने के संबंध वार्ता की तो श्री राजेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कहा कि हाथों-हाथ थोडी करेगें बहाल तरीके से करेंगे तो श्री नरेन्द्र सिह ने, कहा कि पैसे आ गये है तो अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा ने कहा हॉ आ गये है तो तुरन्त थोडी करेंगे बाद में करेंगे उक्त वार्तालाप को वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया ,तत्पश्चात् श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71को अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा की निगरानी हेतु उनके कक्ष में भेजा गया, तत्पश्चात् आरोपी नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम को परिवादी से प्राप्त की गई 1,75,000/-रूपये रिश्वत राशि पेश करने की कहा तो उसने उक्त राशि स्वंय के पिट्ठू बैंग बैंरग काला के ऊपर की जेब में रखी होना बताये जाने पर स्वतंत्र गवाहान श्री शंकर लाल कनिष्ठ सहायक से उक्त पिट्ठू बैंग को उठवाकर चैंक करवाया तो उसके अन्दर की जेब में एक अखबार में लिपटे हुये रूपये मिले जिन्हे जेब के अन्दर से बाहर निकलवाकर अखबार को हटवाकर देखा गया तो पाच-पॉच सौ रूपये के नोटो की गड्डी मिली जिन्हे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 240 नोट कुल राशि 1,20,000/-रूपये व 500-500 रूपये जैसे दिखने वाले भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी करेंसी के 500-500 रू. के 110 नोट कुल 55,000 रूपये कुल राशि 1,75,000 /-रूपये मिले जिनका स्वतंत्र गवाहान के जरिये फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बर/विवरण से मिलान करवाया गया तो हूबहू रिश्वत राशि होना मिली जिसको अखबार पेज सहित मय पिट्ठू बैंग के स्वतंत्र गवाह श्री सोनू सैनी

कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता व परिवादी एवं आरोपी श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम को हमराह लेकर अधीक्षण अभियन्ता के कक्ष में पहुंचा जहां पर श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. की निगरानी में एक व्यक्ति अधिकारी कुर्सी पर बैठा मिला जिसको देखकर परिवादी श्री अफरोज खान ने बताया कि यही श्री राजेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता है जिन्होने मेरे से मुझे निलम्बन से बहाल करने के लिए श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम के मार्फत 1,75,000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल वर्मा, जाति कोली उम्र 57 साल निवासी दा एन्टालिया 106 प्रथम तल कीर्ति सागर, मांग्यावास भारत माता सर्किल के पास, जयपुर हाल निवास किराये का मकान मालिक श्री भगवत शरण त्यागी घण्टाघर रोड डॉ. बी.डी. जिन्दल वाली गली धौलपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर होना बताया जिनसे परिवादी श्री अफरोज खान को निलम्बन से बहाल करने की एवज में श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम से एकराय होकर परिवादी से 1,75,000/-रूपये मांगकर श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम के मार्फत दिनांक 28.01.2026 को प्राप्त करने के संबंध में पूछताछ की तो श्री राजेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि 33 केवी की लाईन धौलपुर शहर में फोल्ट हो गई थी इस केवल को बदलवाने के लिए इस अफरोज खान ने ठेकेदार से मोटी रकम लेकर के सांठ-गांठ की थी एवं इस कार्य को कई महीने तक लम्बित रखा, इस कार्य में कई ओर अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल थे पैसे के लेन-देन के कारण इस कार्य में हुये बिलम्ब की वजह से मुझको विभाग के द्वारा चार्जशीट दी गई मेरे साथ-साथ अन्य अभियन्ताओं को चार्जशीट इश्यू हुई इस बात का पता लगाने के लिए किस-किस अधिकारी ने पैसे लिये अफरोज खान ने मुझे बताया था कि एच.टी.एम शाखा धौलपुर में कार्यरत स्टोर कीपर भरत चौधरी ने भी इसमें पैसे लिये है एवं अधिशाषी अभियन्ता विवेक चन्द शर्मा ने इसमें मोटी रकम ली है मेरे हाथ तो बहुत कम पैसा आया है यह बाते अफरोज खान ने मुझे लिखित में नही बल्कि मौखिक बताई थी इसलिए लगभग 460 मीटर डबल सर्किट केवल घटिया क्वालिटी की इन्होने ठेकेदार से मिलकर बिछवा दी जो कि केवल बाद में टेस्टिंग में फैल हो गई लगभग छः महीने से भी ज्यादा का समय इस पूरे प्रोसेस में लगा जिसकी वजह से मैं निर्दोष होते हुये भी मुझको मेजर में चार्जशीट मिली इसके बाद मैने कई अधिकारियों से इस मामले की छानबीन शुरू की तो यह प्रमाणित हो गया कि इस कार्य में मोटा पैसा लिया गया है और यह पैसा अफरोज के माध्यम से हस्तान्तरित हुआ है मैं इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहता था, इन आरोपो की वजह से ही मैने अफरोज खान को निलम्बित किया था एवं मैने उसको निलम्बित करने के बाद जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा था, सहयोग न करने की दशा में मैने इसको कहा था कि मैं पिछले एक साल का रिकॉर्ड चैक करूगा इसने यह माना कि जो पैसा हम लोगों ने ठेकेदार से लिया था वह केवल टेस्टिंग फैल होने के बाद हमको ठेकेदार को भी लौटाना पड़ा निलम्बन से बहाल करने के लिए अफरोज खान जांच कमेटी के द्वारा जांच किये जाने के बाद ही बहाल किया जावेगा मेरे द्वारा निलम्बन से बहाल करने के लिए अफरोज खान से कोई स्वंय द्वारा रिश्वत राशि ना तो मांगी ना ही श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम के जरिये ली है ना ही मेरे द्वारा श्री नरेन्द्र सिह को अफरोज खान से पैसे लेने के लिए कहा हालांकि अफरोज खान कई माध्यम से पैसे देने की कोशिश कर रहा था किन्तु मेरे द्वारा पैसे के लिए मना कर दिया था कल दिनांक 27.01.2026 को अफरोज खान मेरे पास आया था और पैसे देने की बात कह रहा था मैने उसी के सामने तुरन्त मना कर दिया था जांच होने के बाद ही बहाल के संबंध में फैसला होगा और उसी समय मैने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था, श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम ने अफरोज खान से जो 1,75,000/-रूपये लिये है के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मौके पर मौजूद श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम से इस संबंध में पूछा तो उसने बताया कि मैने अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा जी के कहे एवं मांगे अनुसार अफरोज खान से निलम्बन से बहाली के संबंध में 1,75,000/-रूपये लिये है जिसके संबंध में मैने इनको फोन कर बता दिया था। इसके बाद श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता एवं श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम द्वारा लिये गये बचावी तथ्यों के क्रम में उपस्थित परिवादी ने पूछने पर श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता के कथनों का झूंठा होना बताया और कहा कि अधीक्षण अभियन्ता साहब के कहने पर व अधिशाषी अभियन्ता साहब के लिखित आदेशानुसार मैं केविल टैंस्टिंग कराने के लिए जरूर गया था, मेरे द्वारा ठेकेदारों या अन्य किसी अभियन्ताओं से सांठ-गाठ कर विधुत संबंधी कार्य में कोई पैसे आदि नही लिये गये है, मुझे इन अधीक्षण अभियन्ता साहब द्वारा मेरे उपर लगाये गये आरोपो के संबंध में बिना बताये व बिना नोटिस दिये ही दिनांक 16.01.2026 को निलम्बित कर दिया था और निलम्बन से बहाल करने के लिए इनके द्वारा श्री नरेन्द्र सिह टेक्नीशियन-प्रथम से मिलकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनॉंक 27.01.2026 को मुझसे 1,75,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी मांग के अनुसार आज दिनॉंक 28.01.2026 को मुझसे 1,75,000 रूपये नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के मार्फत प्राप्त किये है, जिसके संबंध में एक बार पुनः श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता व नरेन्द्र सिंह टैकनीषियन-प्रथम से पूछताछ की गई तो दोनो के द्वारा अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई। इसके बाद गवाह श्री शंकरलाल कनिष्ठ सहायक से उसके हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद ट्रेप बौक्स के अन्दर से पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल के दो साफ गिलासों को निकलवाकर एवं प्लास्टिक की बोतल में उक्त कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाकर उसमें से साफ पानी डिसपोजल गिलासो में भरवाकर उनमें

गवाह श्री शंकरलाल माली से ही थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधार आधा भरवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH-1, RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH -2, अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा आरोपी नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम से उसके हाथों के धोबन का रंग हल्का गुलाबी आने का कारण पूछा तो उसने कहा मुझे पता नहीं रंग गुलाबी कैसे आया है। इसके बाद आरोपी नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई 1,75,000/-रूपये की रिश्वत राशि जो आरोपी स्वयं के पिठ्ठू बैग बरंग काला की जेब के अन्दर अखवार पेज के साथ लिपटी रखी हुई मिली जो बाद पहचान/मिलान के गवाह श्री सोनू सैनी कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को पुनः चैक करवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 240 नोट कुल 1,20,000 रूपये एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 110 नोट कुल 55,000 रूपये, कुल राषि 1,75,000 रूपये मिले उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के एवं डमी करेंसी नोटो का मिलान पुनः दोनो गवाहान सें फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बर/विवरणो सें करवाया गया तो मिलान सही होना पाया गया, बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 240 नोट कुल 1,20,000 रूपये एवं डमी करेंसी 55,000 रूपये के नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित कराया गया, तथा डमी करेंसी 500-500 के 110 नोट कुल 55,000 रूपये उक्त सभी डमी नोटो पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है तथा सभी डमी नोटों पर DUK 616850 नम्बर अंकित है। उपरोक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 240 नम्बरी नोट कुल 1,20,000 रूपये एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 110 नोट कुल 55,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,75,000 रूपये रिश्वती नोटों को एक साथ कर मय अखवार पेज सहित एक सफेद कागज की चिट लगाकर हरे रंग के मोटे धागे से बांधकर गांठ लगाकर सील्ड चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी व अरोपीगण के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के पिठ्ठू बैग बरंग काला की तलाषी गवाह शंकरलाल माली से उसके दोनो हाथ साबुन पानी से साफ कराने के बाद लिवाई गई तो उक्त बैग के अन्दर कुछ कागजात पैन आदि बगैराह मिले जो प्रकरण से सम्बन्धित नहीं होने से नरेन्द्र सिंह के कहे अनुसार जितेन्द्र चालक को सुपुर्द किये गये उसके बाद ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवाकर उसको एवं स्वतंत्र गवाह श्री शंकरलाल माली कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद स्टील के कटोरा में प्लास्टिक की बोतल में से साफ पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री गवाह शंकरलाल माली से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे हाजरीन ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। तत्पश्चात उक्त घोल में स्वतंत्र गवाह शंकर लाल माली के जरिये आरोपी नरेन्द्र सिंह टैक्नीषियन-प्रथम के पिठ्ठू बैग बरंग काला की जेब जिसमें से रिश्वत राशि रखी होकर बरामद हुई को उक्त गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल को उक्त जेब में डलवाकर हाथ घुमवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पष्चात उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियो को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क BG-1, BG-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर आरोपीगण एवं गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा उक्त पिठ्ठू बैग बरंग काला की धुलाई हुई जेब को सुखवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर उक्त बैग को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सील्ड मौहर कर मार्क- BG अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, इसके बाद आरोपी श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता से परिवादी के निलम्बन आदि कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली/रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उसने अपने कार्यालय की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री पूजा के जरिये पी.ओ. आफिस से परिवादी अफरोज खांन की निलम्बन आदि कार्यवाही संबंधी पत्रावली मंगवाकर पेश की गई जिसकी फोटो प्रति कराकर उन्हे प्रमाणित कराकर प्रमाणित प्रतियो को जप्त किया जावेगा एवं मूल को वापस लोटाया जावेगा। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की रूबरू/मोबाईल वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। वाईस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड डले सहित सुरक्षित रखा गया। इसके बाद आरोपी नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम को परिवादी अफरोज खांन के

नाम से राशि 1 लाख रूपये का बतौर उधारी एसबीआई बैक शाखा धौलपुर का दिनांक 27.01.2026 को नीलम यादव द्वारा जारी चैक के संबंध में नीलम यादव विधुतकर्मी को तलब किया जो बाबजूद तलबी उपस्थित आई जिसने चैक के बारे में पूछने पर नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम की सिफारिश पर अफरोज खांन के नाम से राशि 1 लाख रू. का स्वयं के नाम से एसबीआई शाखा धौलपुर में संधारित खाता का चैक स्वयं के हस्ताक्षर कर सैल्फ अफरोज खान को नहीं बल्कि नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम को बतौर उधारी देना बताया, जिसको बाद पूछताछ रूखसत किया गया। इसके बाद परिवादी एवं आरोपीगण श्री राजेश कुमार वर्मा अधिक्षण अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया तो नही है, इस पर तीनों ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, वक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ, पिठ्ठू बैग की जेब की धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा में जरिये योगेश सिंह कानि0 नम्बर 88 कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नं. 48 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें इसके बाद आरोपी श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम धौलपुर द्वारा अपने कार्यालय की पूजा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जरिये पी.ओ. ऑफिस से परिवादी अफरोज खांन की निलम्बन आदि कार्यवाही संबंधी पेश की गई खाकी फाईल कवर युक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली में खाकी फाईल कवर के उपर काले पैन से अफरोज खांन एलएम-2 एईएन ए-1 (एक्सईएन डीएलपी) लिखा हुआ है तथा अन्दर आर.के. वर्मा एसई (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर द्वारा जारी अफरोज खांन के निलम्बन आदेश क्रमाक 2321 दिनांक 16.01.2026 की मूल व फोटो प्रति कुल किता दो लगी हुई है, किन्तु जांच कमैटी बाबत आदेश दिनांक 15.01.2026 पत्रावली पर उपलब्ध नही है के बारे में एवं ऑर्डरशीट लिखने आदि के बारे में पूछने पर एसई राजेश कुमार वर्मा द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया, उक्त पत्रावली में उपलब्ध निलम्बन आदेश की दोनो प्रतियों पर व फाईल कवर रंग खाकी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मौके पर उपस्थित आये हुये श्री अंकित मार्टिन कार्मिक अधिकारी को सुपुर्द कर फाईल कवर खाकी एवं निलम्बन आदेश की दोनो प्रतियां की फोटो प्रति करवाई जाकर फोटो प्रतियों को श्री अंकित मार्टिन कार्मिक अधिकारी धौलपुर वृत जयपुर डिस्कॉम से प्रमाणित कराकर प्रमाणित प्रतियों को बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मूल को श्री अंकित मार्टिन कार्मिक अधिकारी धौलपुर वृत जयपुर डिस्कॉम को परिवादी का नियमानुसार कार्य करने/करवाने बाबत सुपुर्द किये गये। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये, इसके बाद समय 07.00 पीएम पर श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर को एवं समय 07.20 पीएम पर श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम को जुर्म से आगाह कर बाद चैक लिस्ट जुर्म अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी स्वंतन्त्र गवाह शंकरलाल माली से लिवाई गई तो आरोपी राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता की तलाशी में एक मोबाईल फोन रेलमी कम्पनी का मय सिम के मिला जिसका स्क्रीन लॉक आरोपी के फिगर लॉक से भी नहीं खुलने पर मोबाईल को वास्ते जांच बजह सबूत कब्ला एसीबी लिया गया तथा आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी में वन प्लस कम्पनी का मोबाईल मय सिम के मिला जिसका स्क्रीन लॉक खुलवाकर उक्त मोबाईल को चैक किया तो साधारण कॉल के अलावा अन्य कोई व्हाटसएप कॉल आरोपी राजेश कुमार वर्मा एसई व नरेन्द्र सिंह के मध्य होना नहीं पाई जाने से उक्त मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई रामेश्वर प्रसाद को सुपुर्द किया गया तथा राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता की गिरफ्तारी की सूचना उसके बेटे ऋषभ को जरिये दूरभाष एवं नरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई रामेश्वर प्रसाद को दी गई। इसके बाद समय 07.35 पीएम पर गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर सरकारी व प्राईवेट गाडियो की पर्याप्त रोशनी में घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात बाद कार्यवाही समय 08.05 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री राजेश कुमार अधीक्षण अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत आर्टिकल्स आदि सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, वीडियो कैमरा, डीवीआर आदि सामग्री के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनो मय चालक एवं मोटरसाईकिलो के घटना स्थल कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम धौलपुर से रवाना होकर समय 08.15 पीएम पर एसीबी कार्यालय धौलपुर वापस आया जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल्स यथा रिश्वत राशि मय अखवार पेज सहित, धोवन की सील्ड शीशीयों, पिठ्ठू बैग पैकिट आदि को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक श्रीकान्त करवाया गया। इसके बाद समय 09.20 पीएम पर परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें दिनाँक 28.01.2026 की आरोपी नरेन्द्र सिंह टैक्नीषियन-प्रथम से हुई मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन-देन नरेन्द्र सिंह की परिवादी से हुई रूबरू वार्ता एवं राशि लेने के बाद नरेन्द्र सिंह की राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता से मोबाईल फोन पर हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में सरकारी लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री योगेश सिंह

कानि0 नम्बर 88 से उक्त रिकार्ड वार्ता की लेपटॉप की सहायता से चार नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी में संग्रहित करवाई जाकर चारो पैनड्राईवों पर मार्क-बी अंकित कराकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिंट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति व मुलजिम प्रति को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड सेंडडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क एम-1 अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों मार्क-बी एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क-एम-1 को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि0 नम्बर 72 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा समय 11.15 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये योगेश सिंह कानि0 नम्बर 88 सरकारी बीडियो कैमरा में करवाई गई रिश्वत बरामदगी व हाथ, पिठ्ठू बैग धुलाई सबंधी बीडीयोग्राफी को चार नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि0 योगेश सिंह संग्रहित करवाया जाकर मार्क सी अंकित करवाकर पैनड्राईवों को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि0 नम्बर 72 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तत्पश्चात बजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई नमूना सील को नष्ट किया जाकर फर्द मुर्तिव की गई तथा अभियुक्तगण श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर भिजवाया जाकर बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया और जाप्ता भेजकर गिरफतार शुदा अभियुक्तों को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया तथा नकल रपट रोजनामचाआम को शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात आरोपीगणों से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में अलग अलग पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहों एवं परिवादी को रूखसत किया गया, तथा गिरफ्तार आरोपीगण श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम को बाद स्वास्थ्य परीक्षण खाना खिलाकर मुलाजमानों की निगरानी में कार्यालय में रखा गया जिन्हें अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय भ्र.नि. अधिनियम भरतपुर में पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री राजेश कुमार वर्मा अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी अफरोज खॉन पुत्र स्व0 श्री चुन्ना खान जाति मुसलमान उम्र 37 वर्ष निवासी पुरानी सराय, पुराना शहर धौलपुर, तत्कालीन लाईनमैन द्वितीय कार्यालय एक्सईएन (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर हाल निलम्बित मुख्यालय कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम सरमथुरा जिला धौलपुर को बिना जांच कराये एवं नोटिस दिये बिना नये विधुत कनेक्शन जारी करने, विधुत लाईनो के स्थानान्तरण आदि सम्बन्धित फाईलों के निस्तारण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुये जरिये आदेश क्रमांक 5416 दिनांक 15.01.2026 से जांच हेतु तीन सदस्यीय कमैटी गठित कर आदेश क्रमांक 2321 दिनांक 16.01.2026 द्वारा निलम्बित करने के बाद परिवादी को निलम्बन से बहाल करने की एबज में अपने मातहत श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता ए- द्वितीय हाल अटैचमेंन्ट कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम धौलपुर से आपसी मिलीभगत कर एवं षडयंत्र पूर्वक एक राय होकर उसके माध्यम से परिवादी से पूर्व में दो लाख रूपये की मांग कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.01.2026 को 1,75,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 28.01.2026 को अधीक्षण अभियन्ता श्री राजेश कुमार वर्मा द्वारा नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के माध्यम से 1,75,000/-रूपये परिवादी से प्राप्त करना तथा आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम द्वारा परिवादी श्री अफरोज खांन से 1,75,000 रूपये की रिश्वत राशि श्री राजेश कुमार अधीक्षण अभियन्ता के लिये एवं अपने स्वयं के लिये प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि श्री नरेन्द्र सिंह टैक्नीशियन-प्रथम के कब्जे से उसके पिठ्ठू बैग के जेब के अन्दर से बरामद होना एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड स्वयं आरोपी राजेश कुमार अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पेश करने पर बरामद होना गया है। अतः 1. श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल वर्मा जाति कोली उम्र 57 साल निवासी दा एन्टालिया 106 प्रथम तल कीर्ति सागर, मांग्यावास भारत माता सर्किल के पास, जयपुर हाल निवास किराये का मकान-मालिक श्री भगवत शरण त्यागी घण्टाघर रोड डॉ. बी.डी. जिन्दल वाली गली धौलपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर, 2. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री करन सिह बघेला जाति बघेल उम्र 44 निवासी ग्रान्डील मौहल्ला धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल टेक्नीशियन-प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता ए- द्वितीय धौलपुर हाल अटैचमेन्ट कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस निरीक्षक भ्र. नि.ब्यूरो धौलपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल वर्मा जाति कोली उम्र 57 साल निवासी दा एन्टालिया 106 प्रथम तल कीर्ति सागर, मांग्यावास भारत माता सर्किल के पास, जयपुर हाल निवास किराये का मकान-मालिक श्री भगवत शरण त्यागी घण्टाघर रोड डॉ. बी.डी. जिन्दल वाली गली धौलपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर, 2. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री करन सिह बघेला जाति बघेल उम्र 44 निवासी ग्रान्डील मौहल्ला धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल टेक्नीशियन-प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता ए- द्वितीय धौलपुर हाल अटैचमेन्ट कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 518 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 141-45 दिनांक 30.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर 3- मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर रेंज 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2026 20:44:39

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				
2	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)